रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2004/श्रावण 8, 1926

No. 676] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2004/SRAVANA 8, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

का.आ. 872(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301 तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, -

(1) मद (xiv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xiv) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)
"(xiv) श्री पी.एन.माजी, अपर औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए);

(2) मद (xv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xv) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)

"(xv)डा0 एस.डी.सेठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, भेषज विज्ञानी और परामर्शी भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद् अंसारी नगर, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए) ; "

(3) मद (xvi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xvi) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)
"(xvi) डा0 डी कानूनगो, अपर महानिदेशक (भंडार) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एम एस ओ, वैस्ट ब्लैक सं0 1, पहला तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली ।	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए) ; "

(4) मद (xix) (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (xix) क के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य	(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)
" डा0 (श्रीमती) संध्या कुलश्रेष्ठ, सचिव (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति), वनस्पति संरक्षण, करन्तीन और भण्डारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, फरीदाबाद.	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए) ; "

[फा. सं.19-1/2000-पी.पी. I]
आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में संख्या का.आ.301(अ) तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :-

IndiaCode

(i) सा.का.नि. 1216(अ) तारीख 19 अगस्त, 1971
(ii) सा.का.नि. 478(अ) तारीख 10 अगस्त, 1976
(iii) का.आ.848(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 1989
(iv) का.आ.528(अ) तारीख 19 जुलाई, 1993
(v) का.आ.849(अ) तारीख 20 अक्तूबर, 1995
(vi) का.आ.346(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1997
(vii) का.आ.70(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998
(viii) का.आ.132(अ) तारीख 24 फरवरी, 1999
(ix) का.आ.807(अ) तारीख 6 सितम्बर, 2000
(x) का.आ.1095(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2000
(xi) का.आ.12(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001
(xii) का.आ.1167(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2001
(xiii) का.आ.1025(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003 और
(xiv) का.आ.229(अ) तारीख 23 फरवरी 2004

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2004

S.O. 872(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation number G.S.R. 301, dated the 27th February, 1971, namely:-

In the said notification,-

(1) for item (xiv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

Member nominated under clause (xiv) of sub-section (3) of Section 4:	(Period upto which nominated)
"(xiv) Shri P.N. Maji, Additional Industrial Adviser, Department of Chemicals and Petro-chemicals, Shastri Bhavan, New Delhi.	(for a period of three years from the date of publication of this notification);

(2) for item (xv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

Member nominated under clause (xv) of sub-section (3) of Section 4:	(Period upto which nominated)
(xv) Dr. S.D. Seth,	(for a period of three years

Emeritus Scientist, Pharmacologist and Consultant, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, New Delhi. — from the date of publication of this notification);

(3) for item (xvi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

Member nominated under clause (xvi) of sub-section (3) of Section 4:	(Period upto which nominated)
(xvi) Dr. D. Kanungo, Additional Director, General (Stores), Directorate General of Health Services, MSO, West Block No. 1, 1st Floor, R.K. Puram, New Delhi.	(for a period of three years from the date of publication of this notification);

(4) for item (xix) (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

Member nominated under clause (xix) (a) of sub-section (3) of Section 4:	(Period upto which nominated)
(xix) (a) Dr. (Mrs.) Sandhya Kulshrestha, Secretary (CIB&RC), Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad.	(for a period of three years from the date of publication of this notification)".

[F. No. 19-1/2000-PP. I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide:-

(i) G.S.R. 1216(E) dated the 19th August, 1971,
(ii) G.S.R. 478(E) dated the 10th August, 1976,
(iii) S.O. 848(E) dated the 25th October, 1989,
(iv) S.O. 528(E) dated the 19th July, 1993,
(v) S.O. 849(E) dated the 20th October, 1995,
(vi) S.O. 346(E) dated the 24th April, 1997,
(vii) S.O. 70(E) dated the 20th January, 1998,

(viii) S.O. 132(E) dated the 24th February, 1999,
(ix) S.O. 807(E) dated the 6th September, 2000,
(x) S.O. 1095(E) dated the 7th December, 2000,
(xi) S.O. 12(E) dated the 5th January, 2001,
(xii) S.O. 1167(E) dated the 23rd November, 2001,
(xiii) S.O. 1025(E) dated the 5th September, 2003 and
(xiv) S.O. 229(E) dated the 23rd February, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

का.आ. 873(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, -

(1) क्रम सं0 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5. डा0 (श्रीमती) संध्या कुलश्रेष्ठ,
सचिव (केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति),
वनस्पति संरक्षण, करन्तीन और भण्डारण निदेशालय,
राष्ट्रीय राजमार्ग 4, फरीदाबाद. सदस्य ";

(2) क्रम सं0 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"6. श्री पी.एन.माजी,
अपर औद्योगिक सलाहकार,
रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली सदस्य "।

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ.79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :-

(i) का.आ. 420(अ) तारीख 30 मई, 1997 ;
(ii) का.आ. 71(अ) तारीख 20 जनवरी, 1998 ;
(iii) का.आ. 23(अ) तारीख 3 जनवरी, 2000 ;
(iv) का.आ. 972(अ) तारीख 2 नवम्बर, 2000 ;
(v) का.आ. 11(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001 ;
(vi) का.आ. 147(अ) तारीख 1 फरवरी, 2002, और
(vii) का.आ. 1024(अ) तारीख 5 सितम्बर, 2003 ;

[फा. सं. 19-3/2001-पी.पी. I]
आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

2358 GI/04-2

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2004

S.O. 873(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O. 79 (E), dated, the 3rd February, 1997, namely:-

In the said notification,-

(1) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

"5. Dr. (Mrs.) Sandhya Kulshrestha,
Secretary (Central Insecticides Board and
Registration Committee),
Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage,
NH-IV, Faridabad. Member" ;

(2) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

"6. Shri P.N. Maji,
Additional Industrial Adviser,
Department of Chemicals and Petro-chemicals,
Shastri Bhavan, New Delhi. Member".

Note:- The Principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 79 (E), dated the 3rd February, 1997 and subsequently amended vide –

(i) S.O. 420 (E) dated the 30th May, 1997;
(ii) S.O. 71 (E) dated the 20th January, 1998;
(iii) S.O. 23 (E) dated the 3rd January, 2000;
(iv) S.O. 972 (E) dated the 2nd November, 2000;
(v) S.O. 11 (E) dated the 5th January, 2001;
(vi) S.O. 147 (E) dated the 1st February, 2002, and
(vii) S.O. 1024 (E) dated the 5th September, 2003.

[F. No. 19-3/2001-PP. I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.